सराहनीय कार्य
दिनांक 30.10.2020
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा।

हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्तः–

01. संतोष चौबे पुत्र पराग दत्त चौबे नि0 कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–338/20, धारा 302 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चाकू (आलाकत्ल)
02. 01 अदद मोबाइल।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.10.2020 को थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिंगहाभोज निवासी सोमनाथ पुत्र बैजनाथ द्वारा अपने लड़के पुष्पेन्द्र पाण्डेय उर्फ सुनील की हत्या के सम्बन्ध में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद की स्वाट/सर्विलांस व डॉग स्क्वायड टीम को मौके पर भेजकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक तरबगंज को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा महेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में थाना तरबगंज व जनपद स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकडी गभौरा मार्ग बहद ग्राम धनौली के पास से गिरफ्तार कर उसकी कब्जे व निशानदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू व 01 अदद मोबाइल बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संतोष चौबे को उसके घर वालो ने बचपन में ही उसका बहिष्कार कर दिया था जिसकी मदद उसकी बुआ करती थी वह सूरत मे रहकर जीवन यापन कर रहा था कुछ दिन पूर्व अभियुक्त की बुआ मीना का जमीन संबंधी विवाद व मारपीट उसकी सगी बहन पुष्पा जो सिंगहाभोज में ही ब्याही हैं के घरवालो से हुआ था जिसका मुकदमा भी चल रहा है उसी विवाद को लेकर दिनाँक 17.10.2020 को उक्त अभियुक्त सन्तोष चौबे सूरत से गोंडा आया और पुष्पेन्द्र उर्फ सुनील की हत्या करने के उद्देश्य से रोडवेज के पास स्थित एक दुकान से चाकू व हाँकी खरीदा तथा अपनी सगी बहन पुष्पा से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग कर पूरी गतिविधी की जानकारी की। उक्त अभियुक्त ने अपनी बहन के लड़के पुष्पेन्द्र उर्फ सुनील की हत्या करने की नियत से उसे दिनांक 18.10.2020 को सिंगहाचंदा चौराहे पर बुलाया, उसके आने पर सुनसान स्थान पाकर उक्त अभियुक्त ने उसके सिर पर हॉकी से वार कर दिया था घायल होकर मृतक कुछ दूरी पर जाकर गिर गया, हाकी टूट जाने के कारण उक्त अभियुक्त ने मृतक के ऊपर चाकू से कई वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त मृतक की मोटरसाइकिल व मोबाइल लेकर मौके से चला गया था तथा सन्त कबीर तिराहे के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके वहीं मोबाइल फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर किया जा रहा है।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक तरबगंज इन्द्रजीत यादव।
02. उ0नि0 युगुल किशोर चन्द्र।
03. हेड का0 देवमणि यादव, 04. का0 दीपक सिंह, 05. का0 कमलेश यादव,
06. का0 राजू सिंह, 07.का0 आदित्य पाल स्वाट/सर्विलांस

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–47 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम बक्स पुत्र वर्मदेव नि0 मल्लाहन पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–353/20, 02. पिंकू उर्फ जग्गी लाल पुत्र गुरूप्रसाद नि0 तुरकौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–447/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही की गयी–

01. नफादीन पुत्र मोती नि0 धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–330/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही की गयी–

01. राज कुमार सोनकर पुत्र कल्पनाथ नि0 गोपाल पुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–379/20, 02. गुरू प्रसाद पुत्र रामदीन नि0 अहिरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–380/20, 03. राज कुमार पुत्र गुरू प्रसाद नि0 अहिरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–381/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सूर्यमणि यादव पुत्र स्वर्गीय देवता प्रसाद नि0 चौबेपुर भटपुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–404/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.10.2020 को थाना को0 मनकापुर के उ0नि0 संजीव कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को आई0टी0आई0 रोड मनवर नदी पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना मनकापुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 संजीव कुमार।
02. हेड का0 जानेश्वर वर्मा।
03. का0 अरविन्द यादव।

थाना मनकापुर पुलिस ने 15000/– के इनामिया गैंगेस्टर को अवैध तमचे के साथ किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. कैलाश उर्फ रामसुहावन पुत्र जुगनू यादव नि0 कठेयइया मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–406/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–232/20, धारा 379.411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–233/20, धारा 41/411.379.413.419.420.467.468.471 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–801/2019, धारा 379.411 भादवि थाना को0 नगर।
04. मु0अ0सं0–21/20, धारा 379.411 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना मनकापुर को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना मनकापुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 417/20 धारा 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा में वांछित था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 15000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 अभिषेक भदौरिया।
02. का0 अवधेश यादव।
03. का0 अमित कुमार यादव।